कार्यालय नगर पालिका परिषद देवबन्द, जिला सहारनपुर।

MUNICIPAL BOARD DEOBAND

निष्प्रयोज्य वाहन/सामान की सार्वजनिक नीलामी हेतु शरायतें

सार्वजनिक नीलामी की तिथि :--16--01--2024 समय :- दोपहर 12 बजे

नीलामी का स्थान :- कार्यालय नगर पालिका परिषद देवबन्द, जिला सहारनपुर।

(शरायतें)

1-यह कि कार्यालय नगर पालिका परिषद देवबन्द में निम्नलिखित निष्प्रयोज्य वाहनों/अन्य बेकार सामान की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 16-01-2024 को दोपहर 12 बजे पालिका बोर्ड के अनुपालन में गठित माननीय सभासदों की समिति व पालिका अधिकारियों की देखरेख में की जायेगी।

2-यह कि समस्त इच्छुक ठेकेदार/व्यक्ति सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने से पहले नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व अंकन-1,00,000/- रू0 (एक लाख रूपये) बतौर जमानत धनराशि नकद/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से पालिका के बैंक खाता संख्या 0134000100199057 IFSC Code PUNB0013400 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा देवबन्द में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा तथा बोलीदाता को नीलामी से पूर्व पहचान पत्र/परिचय पत्र/आधार कार्ड आदि अभिलेखों में से कोई एक साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा। इसके पश्चात् ही सार्वजनिक नीलामी बोली में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

3-यह कि संदर्भित पुराने वाहनों/सामान की नीलामी "जहाँ है जैसा है" एक लॉट के रूप में पड़ा हुआ है के आधार पर नीलाम कर कब्जा दिया जायेगा तथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4-यह कि पालिका परिसर में नगर पालिका परिषद देवबन्द के अन्य वाहन व सामान भी है। जिन पुराने वाहनों व अन्य सामान का सार्वजनिक नीलाम किया जाना है, उन सभी वाहनों/सामान पर काले पेन्ट से "नीलामी हेतु" शब्द अंकित किया गया है और केवल यही सामान नीलामी में सम्मिलित माना जायेगा।

5-यह कि जिस व्यक्ति की उच्चतम बोली स्वीकार कर ली जायेगी, उसको सूचना प्राप्ति के 03 दिनों के भीतर नीलामी बोली की समस्त धनराशि बैंक चैक/डी0डी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से वाहनों/सामान का वास्तविक रूप से कब्जा लेने से पूर्व पालिका के उक्त बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि पालिका हित में जब्त कर ली जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित बोलीदाता को कोई कानूनी उजर नहीं होगा।

6-यह कि नीलामी में सफल व्यक्ति/बोलीदाता को स्वयं के खर्चे पर पालिका के नीलामशुदा पुराने वाहनों/अन्य बेकार सामान को तीन दिनों के भीतर पालिका परिसर से ले जाना होगा।

7-यह कि नीलामी में उच्चतम बोलीदाता व द्वितीय नम्बर पर रहने वाले बोलीदाता की जमानत धनराशि रोक कर अन्य सभी असफल बोलीदाताओं की जमाशुदा जमानत धनराशि अन्दर तीन दिवस चैक के माध्यम से पालिका द्वारा वापस कर दी जायेगी।

8-यह उच्चतम बोली न आने पर अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारणवश स्थगित करने अथवा अन्य परिस्थितियों में निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवबन्द में निहित है।

Scanned with CamScanner

9–यह कि उच्चतम बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष महोदय/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवबन्द में निहित है।

10–यह कि नीलामी में भाग लेने से पूर्व नीलामी हेतु पुराने वाहनों/अन्य बेकार सामान का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में स्वास्थ्य विभाग/जलकल विभाग, नगर पालिका परिषद देवबन्द से सम्पर्क करके किया जा सकता है।

11–यह कि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष महोदय/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवबन्द का निर्णय अन्तिम होगा।

12–यह कि नीलामी सूचना का विवरण/शरायतं वेबसाइट www.nppdeoband.in एवं saharanpur.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

13–यह कि उच्चतम बोलीदाता को कुल बोली धनराशि का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आयकर अदा करना होगा। नीलामी में भाग लेने से पूर्व जी0एस0टी0 नम्बर दिया जाना अनिवार्य होगा ।

निष्प्रयोज्य वाहन/सामान का विवरण

क्र0सं0	वाहन/सामान का नाम	वाहनों/सामान की संख्या
1	जियो 03 टैम्पू	07
2	सितारा टैम्पू	07
3	लोडर मशीन	01
4	ट्रैक्टर ट्राली	05
5	पुराना पानी का टैंकर	04
6	सैक्शन मशीन	01
7	पुरानी टूटी हुयी पैडिल रिक्शायें	35
8	एम0एस0 पाईप	03
9	अतिक्रमण हटाये जाने के दौरान नगर देवबन्द से उतारे गये होर्डिंग/फलैक्सी बोर्ड के मैटेरियल व पाईप	–
10	डम्पिंग यार्ड से उतारी गयी खराब लोहे के पाईप व टिनशेड चादर	–
11	सफाई के पुराने रिक्शा–रेहड़े	10
12	पुराने लोहे के छोटे–बड़े डस्टबीन–स्वच्छ भारत मिशन	लगभग 30

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
देवबन्द।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
देवबन्द।

Scanned with CamScanner